



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1944 (श०)

(सं० पटना 295) पटना, मंगलवार, 17 मई 2022

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

14 मई 2022

सं० अ०सं०क०-०४-११-हज-०५/२०१५/९३—हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 17

(१) एवं १८ (१) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार बिहार राज्य हज समिति के गठन हेतु निम्नलिखित सदस्यों का मनोनयन करती है :-

(क) राज्य के मुस्लिम सांसद/सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद् के तीन सदस्य

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| (१) | जनाब चौधरी महबूब अली कैसर, | सांसद सदस्य (लोक सभा) |
| (२) | जनाब गुलाम गौस | सदस्य, विधान पार्षद |
| (३) | जनाब खालिद अनवर | सदस्य, विधान पार्षद |

(ख) स्थानीय निकायों के तीन मुस्लिम सदस्य

- | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| (४) | जनाब मेराज अहमद उर्फ सुङ्डू | मुखिया काको, जहानाबाद |
| (५) | मोहतरमा तबस्सुम परवीण | मुखिया कराय, परसुराय, नालंदा |
| (६) | (जौजे खालिद अहमद) | मुखिया कोचा धामन, किशनगंज |
| (७) | बीबी कुलसुम आरा, | इमारत शरिया, फलवारीशरीफ, पटना |
| (८) | (जौजे मो० मशाकूर आलम) | एदारा शरिया, पटना |

(ग) ईस्लाम धर्म एवं विधि के ज्ञाताओं से तीन सदस्य

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| (७) | जनाब मौलाना सनाउल होदा कासमी | अध्यक्ष, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना |
| (८) | जनाब अमजद रजा | |
| (९) | जनाब सैयद अफजल अब्बास | |

(घ) गैर सरकारी संस्थाओं से पाँच सदस्य

- | | | |
|------|--------------------------|---|
| (१०) | जनाब अब्दुल हक | दानापुर, पटना |
| (११) | जनाब मौलाना तारिक एनायत | मनेरशरीफ, पटना |
| (१२) | जनाब मौलाना मिनहाजउद्दीन | खानकाह मोजिबिया, पटना |
| (१३) | जनाब मास्टर मोजाहिद आलम | पूर्व विधायक, कोचा धामन, किशनगंज |
| (१४) | जनाब सैयद शाह आमिर शाहिद | खानकाह बारगाह-ए-इश्क,
तकिया शरीफ, मित्तन घाट, पटना |

(ड.) बिहार राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष

(15) जनाब मोहम्मद इरशादउल्लाह

अध्यक्ष, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ
बोर्ड, पटना

तथा

(16) बिहार राज्य हज समिति के सचिव—सह—कार्यपालक पदाधिकारी — पदेन सदस्य

2. बिहार राज्य हज समिति के सदस्यों का (पदेन सदस्य को छोड़कर) कार्यकाल दिनांक—14.05.2022 से अगले
तीन वर्षों के लिए होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डा. अमीर अफाक अहमद फैजी,
सरकार के संयुक्त सचिव—सह—निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 295-571+100-डी०टी०पी०

Website: <http://egazette.bih.nic.in>